न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
84/2013	15.05.2013	29.4.2026

1. लैण्ड होल्डर (तहसीलदार), गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र जगनलाल, बैरवा निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी
2. बाबूलाल पुत्र जगनलाल, बैरवा निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी
3. श्रीमती बिरजी देवी पत्नी जगनलाल, बैरवा निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)

3/1 प्रेम पुत्री जगनलाल, बैरवा निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी
3/2 रामनरी पुत्री जगनलाल, बैरवा निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी
3/3 गोरधनी पुत्री जगनलाल, बैरवा निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी
3/4 रकम पुत्री जगनलाल, बैरवा निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी

4. छीतरमल पुत्र रामसहाय, गुर्जर निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी
5. रूपसिंह पुत्र रामसहाय, गुर्जर निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी
6. सुकराम पुत्र रामसहाय, गुर्जर निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी
7. हरकेश पुत्र रामसहाय, गुर्जर निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी
8. रामधन पुत्र रामसहाय, गुर्जर निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी
9. रामचरण पुत्र रामसहाय, गुर्जर निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा तहत धारा 177/175 आर.टी. एक्ट

उपस्थित :— राजकीय पैरोकार।

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रकरण संख्या 06/2012 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र तहत धारा 183 बी आर.टी. एक्ट उनवानी मोहनलाल बनाम छीतरमल वगैरा मे पारित निर्णय दिनांक 04.03.2013 की अनुपालना मे पेश किया है। ग्राम सलोना स्थित भूमि ख0न0 1450 रकबा 0.48 है0 जमाबंदी संवत 2069—72 जगन्या पुत्र देवल्या जाति चमार के नाम खातेदारी मे दर्ज है। पत्रावली प्रार्थना पत्र 183 बी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट जगन्या फौत हो चुका है एवं उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या [illegible] है। मुताबिक निर्णय व पत्रावली संख्या 6/12 प्रतिवादी संख्या 1, 2 के [illegible] एवं प्रतिवादी संख्या 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:08:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

के पति जगन्या द्वारा रामसहाय, रामधन, रामचरण पिसरान जगन जाति गुर्जर निवासी खूटला सलौना को विक्रय किया जाकर कब्जा हस्तानान्तरण किया गया है। इनके द्वारा किया गया यह भूमि हस्तान्तरण एवं विक्रय विलेख धारा 42 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट मे वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण नल एवं बोईड है एवं अवैधानिक है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पति जगन्या द्वारा एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 के मध्य हुआ भूमि का हस्तानान्तरण अवैध होने, विक्रय विलेख नल एवं बोईड होने के कारण न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी के पारित निर्णय दिनांक 4.3.2013 मे किये गये विस्तृत विवेचन के अनुसार भूमि ख0न0 1450 रकबा 0.48 है0 ग्राम सलोना को राजकीय भूमि घोषित किया जाना न्यायहित मे रहेगा। अतः दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 1450 रकबा 0.48 है0 ग्राम खूटला सलौना का कब्जे राज मे लिया जावे एवं प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल किया जाकर राजकीय भूमि घोषित किया जाकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है। इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने फोटोकॉपी विक्रय पत्र दिनांक 22.10.2002, फोटोकॉपी निर्णय तहसीलदार गंगापुर सिटी मुकदमा संख्या 6/12 उनवानी मोहनलाल बनाम छीतरमल वगैरा, निर्णय दिनांक 04.3.13 प्रस्तुत किये है।

बहस राजकीय पेरोकार सुनी गई।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 22.10.202 के अनुसार भूमि ख0न0 1450 रकबा 0.48 है0 ग्राम खूटला सलौना तह0 गंगापुर सिटी को रामसहाय पुत्र रामधन, रामचरण पुत्र जगन गुर्जर निासी खूटला सलौना तह0 गंगापुर सिटी को एक लाख पन्द्रह हजार रूपये मे विक्रय किया गया है। भू अभिलेख निरीक्षक बाढकला तह0 गंगापुर सिटी की रिपोर्ट दिनांक 10.11.2021 के अनुसार विवादित भूमि पर गुर्जर समाज के लोगों के बसे होने के बारे मे एवं गुर्जर समाज [illegible] व्यक्तियों द्वारा वर्ष 2002 मे जरिए स्टाम्प पर भूमि क्रय किया [illegible] है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भूमि ख0न0 1450 रकबा 0.48 है0 ग्राम खूटला सलौना

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2024.05.20 16:48:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

तह0 गंगापुर सिटी के खातेदारों जो कि अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति है द्वारा अवैधानिक रूप से भूमि का विक्रय गुर्जर जाति के व्यक्तियों को किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का स्पष्ट उल्लघंन है एवं धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह भूमि सिवायचक घोषित की जाकर कब्जे राज मे लिए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 1450 रकबा 0.48 है0 ग्राम खूटला सलौना तह0 गंगापुर सिटी को सिवायचक घोषित किया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को पत्र जारी किया जावे।

पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.5.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:08:07 IST
Reason: SelfAttested

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

ज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

जलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

. लैण्ड होल्डर (तहसीलदार), गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र जगनलाल, बैरवा निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी
2. बाबूलाल पुत्र जगनलाल, बैरवा निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी
3. श्रीमती बिरजी देवी पत्नी जगनलाल, बैरवा निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)

3/1 प्रेम पुत्री जगनलाल, बैरवा निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी
3/2 रामनरी पुत्री जगनलाल, बैरवा निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी
3/3 गोरधनी पुत्री जगनलाल, बैरवा निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी
3/4 रकम पुत्री जगनलाल, बैरवा निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी

4. छीतरमल पुत्र रामसहाय, गुर्जर निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी
5. रूपसिंह पुत्र रामसहाय, गुर्जर निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी
6. सुकराम पुत्र रामसहाय, गुर्जर निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी
7. हरकेश पुत्र रामसहाय, गुर्जर निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी
8. रामधन पुत्र रामसहाय, गुर्जर निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी
9. रामचरण पुत्र रामसहाय, गुर्जर निवासी खूंटला, तह0 गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा तहत धारा 177/175 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नं. —84/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी राजकीय पैरोकार मिनजानिब मुद्दई .... मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 1450 रकबा 0.48 है0 ग्राम खूटला सलौना तह0 गंगापुर सिटी को सिवायचक घोषित किया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को पत्र जारी किया जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.4.26 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:08:07 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान

(बृजेन्द्र मीना
उप जिला कलक
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:08:07 IST
Reason: SelfAttested